

(TO BE PUBLISHED IN PART -IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(2)/LA-2015/ cons2law/ 24

Dated 26th March, 2015

NOTIFICATION

NO. F.14(2)/LA-2015/ cons2law/~~28-36~~ /24 - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 26th March, 2014 and is hereby published for general information:-

**"THE DELHI APPROPRIATION (Vote on Account) ACT, 2015
(DELHI ACT 02 OF 2015)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 25th March, 2015)

[26th March, 2015]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2015-16

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (Vote on Account) Act, 2015.

Issue of

Rs.9437,50,00,000/-from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2015-2016.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees Nine thousand four hundred thirty seven crore fifty lac only to wards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2015-2016 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.



[Handwritten signature]

THE SCHEDULE
(See section 2 and 3)

(Rs. in thousands)

15

SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2	3	4	5
1	Legislature	Revenue 43000	1900	44900
2	General Administration	Revenue 375375	30425	405800
3	Administrative of Justice	Revenue 1565362 Capital 2500	480238 00	2045600 2500
4	Finance	Revenue 610003 Capital 32125	12 00	610015 32125
5	Home	Revenue 1140050 Capital 60075	1250 00	1141300 60075
6	Education	Revenue 15123012 Capital 429600	763 00	15123775 429600
7	Medical and Public Health	Revenue 9642580 Capital 373458	2362 00	9644942 373458
8	Social Welfare	Revenue 8823425 Capital 3548000	00 0	8823425 3548000
9	Industries	Revenue 606785 Capital 90675	125 00	606910 90675
10	Development	Revenue 4713915 Capital 759950	835 75	4714750 750925
11	Urban Development and Public Works	Revenue 21307775 Capital 11809500	150 00	21307925 11809500
PD	Public Debt.	Revenue 00 Capital 00	8068000 4412950	8068000 4412950
12	Loans	Capital 6250	00	6250
13	Pension	Revenue 312500	00	312500
	Total	81375915	12999085	94375000

Saurabh Kulshreshtha

(DR. SAURABH KULSHRESHTHA)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग - IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
आठवें तल, सी-ब्लॉक, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं० फा० 14(2)/एलए-2015/cons2law/ 24

दिनांक 26 मार्च, 2015

अधिसूचना

सं० फा० 14(2)/एलए-2015/cons2law/ 24 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 26 मार्च, 2014 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

"दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2015
(2015 का दिल्ली अधिनियम 02)

(25मार्च, 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[26 मार्च, 2015]

वर्ष 2015-2016 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त शीर्षक।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम 2015 है।

9437,50,00,000/- रुपयों का वर्ष 2015-2016 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए नौ हजार चार सौ सैतीस करोड़ पचास लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2015-2016 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।



अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(रुपये हजारों में)

अनुदान संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनाधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5
1	विधान मंडल	राजस्व 43000	1900	44900
2	साधारण प्रशासन	राजस्व 375375	30425	405800
3	न्याय प्रशासन	राजस्व पूंजी 1565362 2500	480238 00	2045600 2500
4	वित्त	राजस्व पूंजी 610003 32125	12 00	610015 32125
5	गृह	राजस्व पूंजी 1140050 60075	1250 00	1141300 60075
6	शिक्षा	राजस्व पूंजी 15123012 429600	763 00	15123775 429600
7	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	राजस्व पूंजी 9642580 373458	2362 00	9644942 373458
8	सामाजिक कल्याण	राजस्व पूंजी 8823425 3548000	00 00	8823425 3548000
9	उद्योग	राजस्व पूंजी 606785 90675	125 00	606910 90675
10	विकास	राजस्व पूंजी 4713915 759950	835 75	4714750 760025
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व पूंजी 21307775 11809500	150 00	21307925 11809500
	लोक ऋण	राजस्व पूंजी 00 00	8068000 4412950	8068000 4412950
12	ऋण	पूंजी 6250	00	6250
13	पेंशन	राजस्व 312500	00	312500
	योग			
		81375915	12999085	94375000



(सौरभ कुलश्रेष्ठ)

अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)